

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28/02/2025

विषय:- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रु0 39,94,08,900/- (उनचासीस करोड़ चौरानवे लाख आठ हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु0 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 236(नि0) दिनांक 20.02.2025

आदेश- स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढसंकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रु0 340.00 करोड़ का बजट उपबंध के आलोक में द्वितीय अनूपूरक के माध्यम से 60.00 करोड़ के प्रत्यार्पण के पश्चात् कुल 280.00 करोड़ (दो सौ अस्सी करोड़ रुपये) मात्र का संशोधित बजट उपबंध है।

3. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रु0 39,94,08,900/- (उनचासीस करोड़ चौरानवे लाख आठ हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु0 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष - BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान मद में आवंटित राशि से किया जायेगा। (विपत्र कोड- 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड-2104) ।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की

विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	-	-

7. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

9. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

11. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

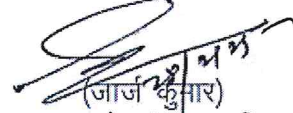
14. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. विभागीय स्वीकृत्योदश संख्या-423/बजट दिनांक 16.03.2024 में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

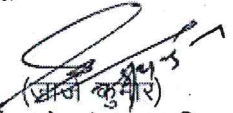
विश्वासभाजन,


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-14/2023 (उ0 शि0) 333/अप- राँची, दिनांक- 28/02/2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-14/2023 (उ0 शि0) 333/अप- राँची, दिनांक- 28/02/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/उप निदेशक, उच्च शिक्षा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

